

कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक:- जिबासई/निविदा/2017-18/ 297

दिनांक:- 12.03.2018

निविदा सूचना स. 01 (2018-19)

सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजकीय जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा एवं सुरक्षित स्थान भीलवाड़ा में वर्ष 2018-19 हेतु निम्न जॉब/विजिट बेसिस कार्यो के लिए मोहर बन्द निविदा पंजीकृत सोसायटी से आमंत्रित की जाती है। यह निविदायें निर्धारित तिथि को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.स.	पद का विवरण	अनुमानित लागत रूपये लाखों में	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य अवधि	निविदा बेचने की तिथि	निविदा पत्र की प्राप्ति अन्तिम तिथि	निविदा पत्र की खोलने की तिथि
01	परामर्शदाता (1)	7.08	14160/-	500/-	1 वर्ष	12.03.2018	31.03.2018	02.04.2018
02	असिस्टेंट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (2) बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु					से 31.03.2018 तक (समय 05:00बजे तक)	(समय 11:00 बजे तक)	2018 (समय 12:00 बजे तक)
03.	सुरक्षा गार्ड (3)							
04	च.श्रे.क. (1)							

1. निविदा धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा आवेदक फर्म जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये।
4. निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज निर्धारित तिथि को किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र शुल्क नगद जमा करवाकर दिनांक 20.03.2018 को समय सायं 05:00 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाईट <http://www.sje.rajasthan.gov.in> या <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क (रूपयें 500) निविदा दाता द्वारा पृथक से डी डी 'सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा के नाम से बनवाकर दिनांक 31.03.2018 को प्रातः 12:00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। जो दिनांक 02.04.2018 को दोपहर 12:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं /उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।

(शरद शर्मा)

सहायक निदेशक

बाल अधिकारिता विभाग एवं

जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा

क्रमांक:- जिबासई/निविदा/2017-18/ 298-304
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक:- 12.3.2018

01. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
02. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय परिसर राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान पर प्रकाशन कराने कि कृपा करावें।

03. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा राज.
04. प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर को वास्ते विभागीय साईड पर ऑन लाईन करने हेतु।
05. अधीक्षक राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह भीलवाड़ा।
06. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट/नगर परिषद/कार्या हाजा।
07. सूचना सहायक कार्या हाजा. को वास्ते एसपीपीपी पोर्टल पर ई नोटिस हेतु।

२५/२/२०
सहायक निदेशक
बाल अधिकारिता विभाग एवं
जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा

**कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल
संरक्षण इकाई भीलवाड़ा (राज0)**

निविदा का नाम :- जॉब बैस पर कार्य करवाने हेतु

तकनीकी निविदा प्रपत्र

विषय :-सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजकीय जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा एवं सुरक्षित स्थान भीलवाड़ा के संचालन हेतु एक काउन्सलर, एक एएनएम, तीन केयर टेकर, एक रसोईया, एक स्वीपर हेतु आईसीपीएस योजनान्तर्गत निर्धारित दरों के आधार पर कार्मिकों की पूर्ति हेतु वर्ष 2018-19 हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम ई-मेल तथा डाक का पूरा पता
.....
.....दूरभाष.....मोबाईल.....
.....ई-मेल.....
2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक :-
3. निविदा शुल्क कीनगद जमा राशि रूपये 500/- रसीद संख्यादिनांक.....
4. निर्धारित अमानत राशि डी.डी. संख्यादिनांकबैंक.....
.....राशि रूपये 14160/- (अक्षरे चौदह हजार एक सौ साठ रूपये मात्र) डी.डी.
सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बला संरक्षण इकाई जिला भीलवाड़ा के हक में दे दिया गया है जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा भोपालगंज भीलवाड़ा में स्वीकार्य हो।
5. जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन संख्या.....दिनांक.....।
6. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन पत्र संख्यादिनांक
.....वेधता अवधि.....(प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।)
7. आयकर विभाग द्वारा जारी परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (पैन नम्बर)सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र संख्यापंजीयन कार्यालय का विवरण
.....
8. पी.एफ. विभाग के रजिस्ट्रेशन नम्बर
9. संस्था के कार्य करने का 02 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। (किसी राजकीय संस्था द्वारा जारी).....
10. सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या..... व विगत दो वर्षों का रिटर्न फार्म संलग्न करे।
11. संस्था का 2 वर्षों का मान्यता प्राप्त सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन/रिपोर्ट.....
12. सेवा/कार्य की दरें संलग्न शिड्यूलGमें दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत की जावें।
13. संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व विधान तथा पदाधिकारियों की सूची संलग्न करे।
14. संस्था के समस्त पंजीयन प्रमाण पत्र सही होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

घोषणा - पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं, कि हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्तें नहीं लाई है, यदि कहीं अंकित कर दी है, तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जावेगी।

यह कि श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है। जिसका पंजीयन संख्या
.....दिनांकहै। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई तो उसे निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर लेगा।

हस्ताक्षर

निविदा दाता के नाम एवं पता मय शील

दिनांक :-

संलग्न दस्तावेज :-

1. पी.एफ. रजिस्ट्रेशन।
2. वेट चुकता प्रमाण पत्र 2014-15, 2016-17, 2017-18।
3. रोजगार सेवा निदेशालय से पंजीयन प्रमाण पत्र।
4. श्रम विभाग में पंजीयन आदेश की प्रति एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के तहत प्लेंसमेंट एजेन्सी का पंजीयन प्रमाण पत्र।
5. कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्ट्रेशन की प्रति।
6. ऑडिट रिपोर्ट 2015-16, 2016-17।
7. जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र।

नोट :- उपरोक्तानुसार दस्तावेज संलग्न करने पर ही निविदा को तुलानात्मक विवरण पत्र में शामिल किया जायेगा।

शिड्युलG

निविदा का विवरण

क्र. सं.	पद नाम	पदों की संख्या	प्रस्तावित दर (प्रतिमाह प्रति पद)	कार्य का विवरण	शैक्षणिक योग्यता	संवेदक द्वारा दी गई दर (समस्त करों को सम्मिलित करते हुये)
1.	काउन्सलर	1	बाल अधिकारिता विभाग के नियमानुसार	1) बच्चों को भाषा एवं संस्कारों का विकास करना। 2) बच्चों की समय समय पर काउन्सलिंग करना।	एम.ए. समाज शास्त्र एवं एम. एस.डब्लू	
2	असिस्टेंट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर . बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड	2	बाल अधिकारिता विभाग के नियमानुसार	1 बाल अधिकारिता विभाग की योजनाओं के ऑनलाईन डाटा एन्ट्री करना 2 बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की सूचना तैयार करना एवं कम्प्यूटराईज्ड डाटा संधारित करना 3 एम.एस ऑफिस में कार्य करना 4 चाइल्ड ट्रेकिंग पोर्टल पर बच्चों की डाटा एन्ट्री एवं डिस्पोजल करना	किसी भी स्नातक कोर्स के साथ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर प्रमाण (RSCIT)	
3	सुरक्षा गार्ड	3	बाल अधिकारिता विभाग के नियमानुसार	1 अनुभवी सुरक्षा गार्ड जो गृह में विधि से संघर्षरत किशोर एवं देखभाल एवं संरक्षण वाले किशोरों की सुरक्षा करना 2 किशोर के पलायन की घटना को रोकना एवं गृह की पूर्ण सुरक्षा करना	साक्षर एवं दो वर्ष का कार्यानुभव (नोट दक्ष सुरक्षाकर्मी की राज्य सरकार द्वारा प्रचलित दर ही प्रस्तुत करें।)	
4	च.श्रे.क.	1	बाल अधिकारिता विभाग के नियमानुसार	1) गृह परिसर में प्रतिदिन सफाई/पोंचा/धुलाई करना। 2) गृह परिसर में स्थित 3) गृह परिसर की छत की माह में एक बार सफाई करना। 4) गृह की पानी की टंकी एवं वाटर कूलर की टंकी की माह में एक बार सर्फ से सफाई करना। 5) गृह के छज्जे, बालकॉनी, खिडकियों, शीशें, दरवाजे आदि की सर्फ से माह में एक बार सफाई 6) गृह में स्थित कमरों में पंखे, टयूब लाईट आदि की माह में एक बार सफाई करना। 7) गृह के कमरों में अलग से झाड़ू लगाना।	साक्षर एवं दो वर्ष का कार्यानुभव	
योग :-						

निविदा की कुल राशि शब्दों में.....

नोट :-श्रम विभाग द्वारा श्रम नियमों की पालना में समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों को अनिवार्य रूप से ठेकेदार को ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। उसी का ध्यान में रखते हुए दरे देवे। यदि निविदादाता द्वारा अपनी दरों में न्यूनतम मजदूरी से कम दरो के प्रस्ताव दिये जाते है तो निविदा पर विचार नही किया जावेगा तथा सर्विस टेक्स सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा स्वयं अपने स्तर पर जमा करा चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी एवं सर्विस चार्ज की दर ऋणात्मक दर मान्य नही होगी।

उपर्युक्त अंकित दरें दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक वैध है। समयावधि में वृद्धि पारस्परिक सहमति से की जा सकती है। निविदा में वर्णित समस्त शर्तों की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठ में दी गई है। जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमारे हस्ताक्षर कर दिये है। जिसका पालन करने के लिए हम सहमत है।

हस्ताक्षर निविदाता मय शील

कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल
संरक्षण इकाई भीलवाड़ा (राज0)

निविदा शर्तें

1. निविदा दाता के पास स्वयं की भविष्य निधि खाता, राज्य कर्मचारी बीमा संख्या होना आवश्यक है।
2. निविदा दाता के पक्ष में संयुक्त श्रम आयुक्त से श्रम प्रावधानों के अन्तर्गत लाईसेंस जारी होना आवश्यक है। लेबर लाईसेंस (अनुज्ञा पत्र) की सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को अनुज्ञा पत्र की शर्तों की पालना करनी आवश्यक होगी।
3. निविदा संस्थान द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित दरों के अनुरूप ही स्वीकार की जायेगी।
4. निविदा उचित रूप से सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार की जायेगी एवं लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में संवर्ग सेवा आपूर्ती हेतु निविदा अंकित होनी चाहिये।
5. निर्धारित अमानत राशि जो कि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. निविदा दाता को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 15 दिवस के अन्दर ठेका श्रम अधिनियम 1970-71 के नियम 25(1) के तहत लाईसेंस फार्म संख्या नियम अन्तर्गत 12(1) के तहत प्रतिलिपि प्रेषित करना आवश्यक है।
8. निविदा दाता को आयकर निस्तारण सम्बंधी प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड ठेका श्रम अधिनियम 1970 के नियम 82(1) के अन्तर्गत फार्म संख्या 24 में होना चाहिए। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न करनी आवश्यक होगी।
9. निविदादाता को पी.एफ. व विभिन्न श्रम अधिनियम के नियमों का स्वयं के स्तर पर पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए निविदा में विभिन्न संवर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत देय मजदूरी, ठेकेदार का सेवा शुल्क, भविष्य निधि अंशदान, कर्मचारी क्षतिपूर्ती प्रीमियम, सर्विस टैक्स को शामिल करते हुए आधार दरों पर अतिरिक्त सर्विस चार्ज की राशि सहित दरें प्रस्तुत करनी होगी। (अलग से कोई राशि देय नहीं होगी)
10. यह कार्यालय बिना बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा।
11. निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, एवं जो दरें अंकित की हैं, वे अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। कार्य की आगे की अवधि आपसी सहमति से निविदा दाता का कार्य सन्तोष प्रद रहने की स्थिति में अग्रिम आदेशों तक बढ़ायी जा सकेंगी।
12. दरें पृथक सेवा हेतु पृथक-पृथक व स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। दरों में अन्य वित्तीय शर्तें होने पर निविदा अस्वीकृत की जावेगी।
13. सेवाएँ उपलब्ध कराने की राशि अंको एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए, इनमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग अथवा संशोधन होने की स्थिति में लघु हस्ताक्षर किये होने चाहिए। यदि किसी कार्य हेतु दरें नहीं देनी हो तो दरें नहीं अंकित करनी हैं।
14. ठेकेदार को ठेका मिलने के उपरान्त कार्यालय में एक अण्डर टेकिंग (500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर) अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी तथा उसके द्वारा कार्य का बिल प्रति माह प्रथम सप्ताह के कार्य दिवस पर मय पी.एफ. अंशदान जमा की चालान रसीद सहित प्रस्तुत कर एजेन्सी कर्मियों के भुगतान में से ठेके हेतु स्वीकृत विधिक कटौती के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कटौती नहीं भुगतान राशि सेवाकर्मियों को सीधे बैंक खाते के माध्यम से भुगतान कर कार्यालय को सूचित करना होगा तथा भुगतान संबंधी समस्त दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कि जावेगी। इस अण्डर टेकिंग का पालन करने पर कार्यालय द्वारा सहकर्मियों को नियमानुसार सीधे ही अथवा किसी अन्य एजेन्सी/द्वितीय/तृतीय संवेदक के माध्यम से सहमति के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। असफल होने पर ठेकेदार की जमा पांच धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

15. मासिक राशि की गणना 26 दिवसीय अवधि मानकर की जावेगी। अनुपस्थिति दिवसों की मासिक राशि में से कटौती व अन्य प्रयोजन हेतु दैनिक राशि की गणना मासिक राशि में से 500 की पेलन्टी बिल में से कटौती की जावेगी।
16. दरें अनुमोदन होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से 15 दिवस में सम्बंधित सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। अन्यथा आपूर्ति न करने की अवधि का प्रतिदिन प्रति सेवा कर्मी रुपये 500 की पेलन्टी राशि बिल में से कटौती की जावेगी।
17. ठेकेदार द्वारा सेवा के दौरान यदि किसी प्रकार की राजकीय होम/कार्यालय को हानि होती हो तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। तथा हानि की राशि को ठेकेदार के भुगतान से काट लिया जायेगा।
18. आदेशित सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में इस अनुबंध का खण्डन माना जायेगा। एवं कार्यालय को धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. सफल निविदा दाता को आदेश प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार-पत्र निष्पादन कराना होगा। जिस कार्यालय के लिए स्वीकार की गई है। प्रतिभूति की राशि जमा करानी होगी।
20. सफल निविदा दाता द्वारा निविदा के समय जमा करायी गई अमानत राशि को देय पांच प्रतिशत को धरोहर राशि से समायोजित कराया जा सकेगा।
21. अमानत राशि पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
22. यदि निविदा दाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है, या उनके विरुद्ध है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही को निरस्त कर दिया जावेगा।
23. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्था/ठेकेदार) के लिए भीलवाड़ा स्थित सक्षम न्यायालय क्षेत्र होगा।
24. स्वीकृत दरों पर सेवाओं की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।
25. ठेकेदार को संबंधित सेवा से पूर्व कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। (अनुभव के सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें) अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जावेगा।
26. अनुबंध की अनुमति कार्य करने की क्षमता व अनुभव ध्यान में रखकर प्रथम छः माह के लिए दी जावेगी। जो कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर एक वर्ष शेष अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी। एक वर्ष बाद अनुबंध आपसी सहमति से छः माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
27. संस्थान में ठेकेदार को केन्द्र व राज्य सरकार के श्रम विभाग के नियमों तथा न्यूनतम मजदूरी के अन्तर्गत देय पारिश्रमिक नियमों के पालन के सम्बंध में समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
28. ठेकेदार द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने के एवज में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों (न्यूनतम मजदूरी दोनों के आधार पर) सेवा शुल्क पी.एफ., अन्य करों को शामिल करते हुए अन्त में दर के कॉलम स्पष्ट रूप से अंकित करें।
29. ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि हमेशा कार्यों के लिए सुपरविज़न हेतु कार्यालय समय में कार्य पर उपस्थित रहेगा। तथा पारी प्रभारी/अधिकृत अधिकारी आदेशानुसार कार्य सम्पादित करवायेगा।
30. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले व्यक्तियों (मैन पावर) को उसका परिचय पत्र बनाकर देना होगा। जो ड्यूटी के दौरान सम्बंधित व्यक्ति के पास पॉकेट पर/गले में पहचान हेतु लगा होगा। बिना परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति कार्य पर नहीं लिया जायेगा। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकरों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो, निर्धारित योग्यता के दस्तावेज एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
31. निविदाओं सम्बंधी समस्त अधिकार क्रय समिति को होंगे। जिनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
32. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में जीएसटी राशि अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा। सम्बंधित विभाग में जीएसटी राशि जमा कराने का दायित्व आपूर्ति कर्ता का होगा।
33. भुगतान बिलों के नियमानुसार आयकर/जीएसटी की कटौतियां की जावेगी।
34. कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगे। निविदादाता द्वारा सर्विस टैक्स कोड न. व रिटर्न होना आवश्यक है।

35. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा नियोजित श्रमिक की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी इसके लिए विभाग या सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा जिम्मेदार नहीं होगा।
36. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायलय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है तो वह इसमें बाल अधिकारिता विभाग प्रशासन को पक्षकार नहीं बना सकेगा फिर भी यदि ऐसा किया जाता है तो सहायक निदेशक, बाअवि एवं जिला बाल संरक्षण भीलवाड़ा पर पडने वाला भार ठेकेदार से वसूला जायेगा।
37. फर्म को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकार 18 वर्ष से कम आयु के नहीं है।
38. निविदा प्रक्रिया में स्वयं पदाधिकारी मय मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होंगे उसके बाद संस्था ही संस्था की तकनीकी बिड को देखा जायेगा तथा सही पाये जाने पर वित्तीय बिड खोली जायेगी।
39. क्रम संख्या 01 से 05 तकके पदों की अंकित दर आईसीपीएस योजनान्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित हैं अतः इस दर से कम दर पर निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा आवेदन पत्र स्वतः ही अस्वीकृत माना जाएगा एवं उपागम समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

नोट :- मैने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों संख्या 01 से 39 तक को भली भाँति पढ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र परिशिष्ट अ एवं ब संलग्न है।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

अनुबंध-पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांकमाहसन्.....प्रथम पक्ष सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा तथा द्वितीय पक्ष के मैसर्स
..(जिसे इसमें आगे अनुमोदित सेवा आपूर्ती कर्ता कहा गया है, तथा इस अधिनियम में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जावेगा।उसके उच्चाधिकारियों, निष्पादको एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जायेगा) के मध्य सम्पन्न किया गया।

उक्त अनुबंध पत्र प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के आधार पर निष्पादित किया गया :-

1. यह कि प्रथम पक्ष अपने परिशिष्ट-1 पर अंकित कार्यालय/कार्यालयों नाम/सूची कार्यालय परिशिष्ट संख्या-01 पर संलग्न) में परिशिष्ट-02 पर अंकित कर्तव्यों दक्षतापूर्वक निष्पादन हेतु 12 माह की अवधि के लिए द्वितीय पक्ष की सेवाएँ पूर्णतः ठेका सेवा पद्धति पर लेने के लिए सहमत है, जिसके लिए निर्धारित मापदण्डनुसार संतोषप्रद सेवा निष्पादन के सत्यान के अधीन राशि रूपये स्वीकृत निविदा दर अनुरूप प्रतिमाह (फिक्स) प्रति भुगतान करने के लिए सहमत है।
2. यह कि ऊपर वर्णित मद संख्या 01 में अंकित कार्य हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्णत ठेका पद्धति के आधार पर पक्षकार संख्या 01 सेवाएँ उपलब्ध करायी जायेगी एवं कार्य अवधि समाप्त होने पर या कार्य समाप्त होने पर उक्त सेवाओं का अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3. यह कि उक्तानुसार मासिक राशि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित सेवा आपूर्तीकर्ता द्वितीय पक्ष को प्रत्येक अगले माह के द्वितीय सप्ताह तक किया जा सकेगा।
4. यह कि मासिक राशि की गणना माह में 26 कार्य दिवस मानकर की जायेगी तथा जितने दिन कार्य नहीं किया जावेगा। (सेवाएँ उपलब्ध नहीं करायी जावेगी) उतने दिन की भुगतान में आनुपातिक रूप में कटौती की जावेगी।
5. यह कि अनुमोदितसेवा आपूर्तीकर्ता द्वितीय पक्ष वांछित सेवाओं के लिए वैधानिक नियमों की पालना के अन्तर्गत, यदि आवश्यकहो तो, अनुज्ञा पत्र प्रमाण पत्र तकनीकी शैक्षणिक अर्हताओं (परिशिष्ट संख्या 02 के अनुसार) को पूर्तिकरने की बाध्यता द्वितीय पक्षकार की होगी। द्वितीय पक्षकार द्वारा इसमें किसी प्रकार की कमी, अवहेलना, धोखाधड़ी करने पर, पक्षकार संख्या 01 को अनुबंध निरस्त करने के साथ पक्षकार संख्या 02 के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा। फर्जी या अवैध प्रमाण पत्र अनुज्ञापत्र के आधार पर किये गये कार्य का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
6. यह कि पक्षकार संख्या 02 के द्वारा सप्ताह में सभी कार्यालय दिवसों में, कार्यालय की समयावधि व आवश्यकतानुसार सेवाएँ प्रदान करनी होगी अन्यथा किसी प्रकार से भी सेवा प्रदान न करने या निर्धारित कार्य स्थल पर सेवा प्रदत्त नहीं होने पर देय मासिक राशि से अनुपातिक कटौती की जावेगी।
7. यह कि पक्षकार संख्या 02 के द्वारा प्रदत्त सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर पक्षकार संख्या 01 पक्षकार संख्या 02 को सूचित किया जावेगा। यदि सेवा की गुणवत्ता में पक्षकार संख्या 02 द्वारा सुधार नहीं किया गया तो किये गये कार्य का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
8. यह कि उक्त सेवा अनुबंध केवल तात्कालीन आवश्यकता के अनुरूप है, अतः पक्षकार संख्या 02 द्वारा मासिक (फिक्स) राशि की बढ़ोतरी अथवा अन्य किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं की जावेगी एवं नहीं इस सम्बंध में कोई व्यक्ति विवाद उत्पन्न किया जावेगा।
9. यह कि पक्षकार 02 द्वारा प्रदत्त सेवाएँ किसी भी शिफ्ट में अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित समय में ली जा सकेगी।
10. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य के विहित कर्तव्यों (परिशिष्ट-02) की पूर्ण पालना करनी होगी। कर्तव्यों की सूची परिशिष्ट 02 पर संलग्न है, जिनकी पालना नहीं किये जाने पर अथवा अवहेलना करने पर अनुबंध पर की गई अवहेलना मानी जायेगी।
11. पक्षकार संख्या 02 द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सेवाओं के समस्त श्रम कानूनों व विभाग प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना व जहां आवश्यक हो, भुगतान सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः पक्षकार 02 का ही होगा। पक्षकार संख्या 01 इस दायित्व से विमुक्त रहेगा।
12. पक्षकार संख्या 02 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के दौरान लापरवाही अथवा उदासीनता से यदि पक्षकार संख्या 01 अथवा अन्य सम्बंधित पक्षकार को कोई क्षति होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पक्षकार संख्या 02 का ही होगा।
13. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद उत्पन्न होन पर विवाद का निस्तारण भीलवाड़ा शहर के न्यायालय में ही होगा।
14. इस अनुबंध की अवधि अनुबंध पत्र निष्पादित होने की तिथि से 12 की अवधि (.....से तक) मानी जावेगी। उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार की सहमति से नया अनुबंध किया जावेगा।

हस्ताक्षर व सील
पक्षकार संख्या 01

हस्ताक्षर व सील
पक्षकार संख्या 02



NIB Details

CLOSE

Department Details :

Department Name	Child Empowerment
Department Type	State Government Department
Procuring Entity Name :	Mr. Sharad Sharma
Procuring Entity Contact :	Email: dlo[dot]bhi[at]rajasthan[dot]gov[dot]in, Mobile: 9414302624
Office Address :	Child Right Bhilwara, Collector campus, Bhilwara, Bhilwara, (Bhilwara), PIN:311001, Phone No.:01482232678, Fax No.:

NIB Details:

NIB Code	CED1718A0014
NIB Reference no.	297/01

Document	Financial Year	Publish Date	Uploaded on	Published Bids
Size : 516.33 KB [हिन्दी]	2017 - 2018	12/03/2018	12/03/2018	1 / 1

Publish Bid Details:

Cover(s)	Document	Bid Title / (UBN)	Amount(₹)	Bid Type	Open Date	End Date
1	Size : 3.04 MB [हिन्दी]	Job Basis/Visit Basis Works at District Child Protection Unit and Place of Safety Bhilwara for the Year 2018-19 (CED1718SSOB00014)	₹ 708000.00	Services	02/04/2018	31/03/2018

Bid Details:

Bid Title	Job Basis/Visit Basis Works at District Child Protection Unit and Place of Safety Bhilwara for the Year 2018-19
Bid Type	Services
Bid Sub Type	Manpower Services
Bid Pattern	Open Competitive Bidding
Bid Amount	₹ 708000.00
Bid Required in Cover(s)	1
First Appeal Hearing Authority	Assistant Director
Second Appeal Hearing Authority	Junior Accountant

Critical Dates:

Bid Upload Date	12/03/2018
Bid Publish Date	12/03/2018
Bid Submission End Date	31/03/2018
Bid Open Date	02/04/2018

Designed and Developed by



Copyright © 2018, All rights reserved

Ushaspati Tripathi, Joint Secretary, Finance (G & T) Department

Finance (SPFC) Department, Govt. Secretariat, Jaipur (Rajasthan) - 302 005

Contact No.: (Rules Help) 0141-2743455 (Technical Help) 0141-5101669

Email cao.spfc@rajasthan.gov.in

Version : 3.0.0 Dated: 29 Sep 2016

Site best viewed in IE 10 or latest, Chrome or Mozilla Web Browser, with screen resolution 1024 x 768

